(73)

R511/A/06

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ पुनरीक्षण

श्री .... द्वारा आज दि० .... को प्रस्तुत

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१) रघुनन्दन पुत्र श्री साधू मुड्डा
२) रामबालक पुत्र रामस्वयंवर मुड्डा
निवासीगण दिनापुर तेहसील अमरपाटन,
जिला सतना ---आवेदकगण.

वनाम.

१) बृजमोहनप्रसाद,)
२) बाबूलाल,) पुत्रगण साधूराम ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम दिनापुर तेहसील अमरपाटन,
जिला सतना -----अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २५-१-०६ पारित द्वारा श्री व्ही०के० सिंह, अपर आयुक्त रीवासंभाग रीवा, प्रकरण क्रमांक १५६/अपील/२०००-०१ वउनवान बृजमोहनप्रसाद आदि वनाम रघुनन्दन आदि:

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, ग्राम दिनापुर की आराजी क्रमांक ७९५/१ रकवा २-४४ एकड़ के आवेदकगण भूमिस्वामी हैं। उक्त भूमि के सीमांकन हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से राजस्व निरीक्षक से विवादित भूमि का सीमांकन विधिवत् कराया गया जो प्रकरण क्रमांक ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 511–दो/2006 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 –11 –16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम0आर0 गुप्ता उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 156/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 25.01.2006 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार के सीमांकन आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन ने इस आधार पर नहीं माना है कि वास्तविकता की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है इसलिये सीमांकन उचित नहीं है एवं प्रकरण को पूनः सीमांकन बटा नंबर एवं नक्शा तरमीम तीनों को एक साथ करने की कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। उनका यह निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । क्योंकि एक साथ तीनों कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	

इन कार्यवाहियों को करने के लिये संहिता में अलग–अलग प्रावधान है। जब प्रकरण की संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली करने का है तो मात्र इसी आवेदन पत्र पर या इसी आदेश के विरूद्ध अपील पर इसी बिन्दु का निराकरण किया जा सकता है। नक्शा तरमीम या बटानंबर के संबंध में न तो आवेदक और न ही अनावेदक ने कोई भी आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है तो उस बिन्दु अपर आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने इन बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया है। जहां तक संहिता की धारा 250 में बेदखली का सवाल है, जिसमें सक्षियों द्वारा प्रमाणित है कि विवादित आराजी के बीच में सड़क को 40–45 वर्ष हो गये है तब से अनावेदक का लगातार कब्जा दखल चला आ रहा है, जिसमें अनावेदक ने आम के पेड़ लगाये है। इसके अलावा आवेदक ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि अपने जीवनकाल में दबते रकबे पर कभी कब्जा दखल नहीं था अनावेदक का ही कब्जा चला आ रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक विवादित आराजी पर लंबे अर्से से कब्जे दखल पर है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के द्वारा विवेचनापूर्ण ढंग से की गई है जो विधिसंगत है। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने किस आधार पर प्रमाणित माना है। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है । तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन कार्यवाही को निरस्त करना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। इसी स्तर पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने विवेचनापूर्ण आदेश में इसकी पुष्टि की है। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीवा

द्वारा पारित किये गये आदेश तर्क संगत है। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.01.2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य